

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक :- एफ.4(ई)के-59/2023/अलेसे-III/218

दिनांक :- 09.06.2025

कार्यालय आदेश

सुश्री खुशबू सूरौठिया, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ.1(5)(3511)स्था./सान्याअवि/2025 दिनांक 23.05.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत दिनांक 02.06.2025 से 27.06.2025 तक (कुल 26 दिवस) का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री खुशबू सूरौठिया, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित करावें।



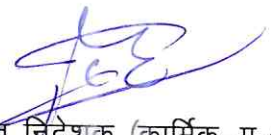
(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)के-59/2023/अलेसे-III/218

दिनांक :- 09.06.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक महोदय।
3. सुश्री खुशबू सूरौठिया, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)